[2019] 1 एस. सी. आर. 270

हरियाणा पीडब्ल्यूडी हरियाणा सरकार (बी और बी)

आर) शाखा

वी.

एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 27)

3 जनवरी, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 15 , 15 (2)

अधिदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन-सरकारी कार्य अनुबंध पक्षकारों के बीच विवाद-का नामांकन

मध्यस्थ ने समझौते में विवाद समाधान खंड के संदर्भ में-भारतीय मध्यस्थता परिषद-आई. सी. ए. ने राज्य द्वारा नामित मध्यस्थ पर आपत्ति जताई कि राज्य का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते, उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता संदिग्ध है-राज्य ने एक विकल्प मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा-इस बीच, आई. सी. ए. ने राज्य की ओर से एक नामित मध्यस्थ नियुक्त किया, और साथ ही अध्यक्षता भी की।

मध्यस्थ-आवेदन यू/एस दाखिल करके राज्य द्वारा चुनौती। 15 जिला न्यायाधीश के समक्ष और माध्यस्थम न्यायाधिकरण यू/एस के समक्ष भी आपत्ति। 16 – जिला न्यायालय ने याचिका को विचारणीय नहीं माना क्योंकि न्यायाधिकरण का गठन किया गया था-उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका

न्यायालय-खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय एस पर ध्यान देने में विफल रहा। 15 (2) जो यह प्रावधान करता है कि एक स्थानापन्न मध्यस्थ को उन नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए जो इसके लिए लागू होते हैं मध्यस्थ की नियुक्ति की जा रही है-आई. सी. ए. नामित मध्यस्थ की नियुक्ति पर अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता था।

राज्य द्वारा अनुरोध की गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की ओर से-आई. सी. ए. द्वारा राज्य की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति अन्यायपूर्ण और आई. सी. ए. के नियमों के विपरीत-राज्य द्वारा नामित मध्यस्थ के संबंध में उठाए गए पूर्वाग्रह की उचित आशंका की आपत्ति पूरी तरह से अनुचित और अप्रमाणित-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर, समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर (सेवानिवृत्त)।

270 जीओवीटी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम। एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय ने विचार करते हुए कहा कि

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 15 के तहत आवेदन अधिनियम की धारा 15 (2) के प्रावधानों पर ध्यान देने में विफल रहा। धारा 15 (2) में प्रावधान है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू नियमों के अनुसार एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह होगा कि एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति प्रारंभिक चरण में मूल समझौते में अपनाई गई उसी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। धारा 15 (2) के प्रावधानों की आवश्यकता है कि जब किसी मध्यस्थ का आदेश या तो उसके पद से हटने से, या पक्षों द्वारा एक समझौते के अनुसार, या किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू नियमों के अनुसार एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी। [पैरा 3.1,23] [276-एफ-एच; 277-सी]

1.2 खंड 39.2। 2 . समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ और तीसरे मध्यस्थ को नामित करेगा

आई. सी. ए. के नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। [पैरा 3.3] [277-सी-डी]

1.3 अपीलार्थी-आपत्तियाँ उठाए जाने के बाद राज्य ने एक अन्य नामित मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए 30 दिनों के समय का अनुरोध किया था।

आई. सी. ए. द्वारा पहले नामांकन के लिए। आई. सी. ए. ने 30 दिनों की अवधि देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपीलार्थी-राज्य की ओर से मध्यस्थ नियुक्त किया। आई. सी. ए. केवल तभी रिक्ति को भर सकता था जब अपीलार्थी-राज्य का रिक्ति को भरने का कोई इरादा नहीं होता। आई. सी. ए. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति पर अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता था। की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति

अपीलकर्ता-आई. सी. ए. द्वारा राज्य अन्यायपूर्ण था और आई. सी. ए. के नियमों के विपरीत था। [पैरा 3.4,3.5] [277-ई-जी]

1.4 1996 का अधिनियम पूर्व कर्मचारी को अयोग्य नहीं ठहराता है।

एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से, बशर्ते कि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में कोई उचित संदेह न हो। तथ्य यह है कि मध्यस्थ 10 [2019] 1 एस. सी. आर. से अधिक समय तक हरियाणा राज्य में कार्यरत था।

वर्षों पहले, पक्षपात के आरोप को स्पष्ट रूप से असमर्थनीय बना देगा।

[पैरा 3.9] [278-एफ-जी]

1.5 तत्काल मामला पूर्व-संशोधित 1996 अधिनियम द्वारा शासित होता है। यहां तक कि 2015 के संशोधन अधिनियम के अनुसार जो जोड़ा गया है

1996 के अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची जिसमें यह निर्धारित करने के लिए आधार हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं। पाँचवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1 और सातवीं अनुसूची समान हैं। प्रविष्टि इंगित करती है कि एक व्यक्ति, जो एक कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार के रूप में एक पक्ष से संबंधित है, एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है। शब्द "एक है" इंगित करता है कि व्यक्ति

कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार। "अन्य" शब्द का उपयोग पिछले/पूर्व कर्मचारियों को शामिल करने के लिए प्रवेश के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 3.10] [278-जी-एच; 279-बी-डी] 1.6 आई. सी. ए. ने केवल एक गंजा दावा किया कि नामित मध्यस्थ अपीलार्थी-राज्य का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी था, और इस तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा। पक्षपात की उचित आशंका की आपत्ति पूरी तरह से अनुचित और अप्रमाणित थी, विशेष रूप से क्योंकि नामित मध्यस्थ एक था

10 साल पहले राज्य के पूर्व कर्मचारी। इसलिए उत्तरदाताओं की आशंका अनुचित थी क्योंकि पूर्वाग्रह के लिए लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो एक निष्पक्ष और सूचित व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं कि मध्यस्थ वास्तव में पक्षपाती था। यह उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा। केवल पक्षपात के आरोप मध्यस्थ को हटाने का आधार नहीं हैं। इसके अलावा, यह नियुक्ति 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले की गई थी जब पांचवीं अनुसूची को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए आई. सी. ए. द्वारा उठाई गई आपत्ति उस आधार पर भी असमर्थनीय थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है [अनुच्छेद 3.11,3.12] [279-ई-जी]

1.7 दलीलों के समापन के दौरान, दोनों पक्षों के वकील ने न्यायमूर्ति एस. एस. की नियुक्ति पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की।

जीओवीटी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम। एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड।

रियायत समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में निज्जर (सेवानिवृत्त)। आई. सी. ए. नियमों के तहत गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का आदेश समाप्त कर दिया गया है। एकमात्र मध्यस्थ निरंतरता से आगे बढ़ेगा।

पूर्व में गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण। [पैरा 4] [279-एच; 280-ए-सी]

ए. सी. सी. लिमिटेड बनाम ग्लोबल सीमेंट्स लिमिटेड (2012) 7 एस. सी. सी. 71: [2012]

6 एस. सी. आर. 215-संदर्भित।

लोकाबेल लिमिटेड बनाम। बेफील्ड प्रॉपर्टीज 2000 (1) सभी ई. आर.

65 ; पुनः दवाइयाँ और संबंधित वस्तुओं के वर्ग

(सं. 2) 2002 (1) सभी ई. आर. 465-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 6 एससीआर 215

पै

रा 3.2

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 27

2019 .

उच्च न्यायालय के 01.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 (ओ एंड एम) के सी. आर. सं. 3279 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

हेमंत गुप्ता, एएजी, सुश्री सुनाक्षी गुप्ता, आलोक शर्मा, संजय

कुमार विसेन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सलीम इनामदार, हसन मुर्तजा, आदित्य पांडा,

रवि सहगल, प्रबल मेहरोत्रा, मेसर्स। खेतान एंड कंपनी, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. वर्तमान दीवानी अपील अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है।

हरियाणा राज्य सी. आर. सं. 3279/2017 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.03.2018 के आदेश को चुनौती देगा।

2. वर्तमान अपील दाखिल करने के लिए अग्रणी तथ्यात्मक मैट्रिक्स,

संक्षेप में कहा गया हैः

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 . 12.12.2008 पर अपीलार्थी-राज्य ने एक पत्र जारी किया

निर्माण, संचालन के लिए कार्य अनुबंध का निष्पादन और गुड़गांव-फरीदाबाद रोड और बल्लभगढ़-सोहना रोड का बी. ओ. टी. (निर्माण, संचालन और हस्तांतरण) आधार पर रखरखाव।

2.2 . के बीच एक रियायत समझौता किया गया था

31.01.2009 पर दल। निर्माण की अवधि 31.05.2009 से 24 महीने थी। उक्त समझौते में एक विवाद समाधान खंड था जो नीचे दिया गया हैः

" 39.2 मध्यस्थता

39.2. 1 . कोई भी विवाद, जिसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है

खंड 39.1 में उपबंधित अंतिम निर्णय संदर्भ द्वारा किया जाएगा।

मध्यस्थों के बोर्ड द्वारा मध्यस्थता के लिए, जिसके अनुसार नियुक्त किया गया हो

खंड 39.2 के लिए। 2 . उपखंड (बी) नीचे। ऐसी मध्यस्थता मध्यस्थता के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाए

भारतीय मध्यस्थता परिषद और इसके अधीन होगी

मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान।

39.2. 2 . तीन मध्यस्थों का एक बोर्ड होगा जिनमें से

प्रत्येक पक्ष एक का चयन करेगा और तीसरा मध्यस्थ होगा मध्यस्थता के नियम के अनुसार नियुक्त

भारतीय मध्यस्थता परिषद "।

(जोर दिया गया)

2.3 . समझौते के निष्पादन के दौरान, विवाद उत्पन्न हुए

दलों के बीच। प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस। जी. एफ. टोल रोड प्रा. लिमिटेड ने प्रत्यर्थी संख्या 2-भारतीय मध्यस्थता परिषद ("आई. सी. ए".) को दिनांकित 30.03.2015 पत्र के माध्यम से मध्यस्थता खंड का आह्वान किया, और आई. सी. ए. से मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। 05.05.2015 पर,

प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस। जी. एफ. टोल रोड प्रा. लिमिटेड ने एक सेवानिवृत्त इंजीनियर-इन-चीफ-श्री को नियुक्त किया। उनके मनोनीत मध्यस्थ के रूप में सुरजीत सिंह।

अपीलकर्ता-राज्य ने इसमें एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को भी नामित किया है।

इन-चीफ, श्री एम. के. अग्रवाल उनके नामित मध्यस्थ के रूप में 08.06.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से।

2.4 . प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. दिनांकित 03.08.2015 पत्र के माध्यम से

अपीलार्थी द्वारा नामित मध्यस्थ के समक्ष आपत्ति उठाई-इस आधार पर कहें कि वह राज्य का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी था, और सरकार के प्रति उसकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के संबंध में न्यायोचित संदेह हो सकते हैं।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम। एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करें। प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. ने राज्य को अपने नामांकन पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। अपीलार्थी-राज्य ने प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. द्वारा उठाई गई आपत्ति का इस आधार पर खंडन किया कि ऐसा कोई नियम नहीं था जो

पूर्व कर्मचारी एक मध्यस्थ होने के नाते, और उसकी निष्पक्षता के संबंध में कोई उचित संदेह नहीं हो सकता क्योंकि नामित मध्यस्थ 10 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया था।

24.09.2015 पर, उत्तरदाता संख्या 1-M/s। जी. एफ. टोल रोड प्रा. लिमिटेड ने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में आपत्ति जताई अपीलार्थी द्वारा नामित मध्यस्थ-श्री एम. के. अग्रवाल। प्रत्यर्थी सं. 2-आई. सी. ए. ने उक्त आपत्ति को अपीलार्थी-राज्य को भेज दिया।

2.5 . प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. ने अपने दिनांकित पत्र के माध्यम से

30.10.2015 यह दोहराया गया कि यह दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि श्री एम. के. अग्रवाल का अपीलार्थी-राज्य के साथ उसके पूर्व कर्मचारी के रूप में सीधा संबंध था, जो विवाद का निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा कर सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. ने कहा कि वह श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और इसके निर्णय को अपीलार्थी को सूचित किया जाएगा।

2.6 . जवाब में, अपीलकर्ता-दिनांकित पत्र के माध्यम से राज्य

16.11.2015 प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. से 30 दिनों की अवधि के लिए एक स्थानापन्न मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया।

इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. ने अपने दिनांकित पत्र 23.11.2015 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया-यह बताएँ कि वह पहले ही

अपीलार्थी की ओर से नामित मध्यस्थ के साथ-साथ पीठासीन मध्यस्थ को भी नियुक्त किया गया। 2.7 . नामित मध्यस्थ की प्रत्यर्थी संख्या 2-आई. सी. ए. द्वारा की गई नियुक्ति से व्यथित, अपीलकर्ता-राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") की धारा 15 के तहत जिला न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था।

2.8 . अपीलार्थी-राज्य ने अधिकारिता के मुद्दे पर धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष भी आपत्ति जताई।

08.12.2016 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि वह अधिनियम की धारा 16 के तहत आपत्ति की सुनवाई नहीं करेगा, और जिला न्यायालय, चंडीगढ़ के फैसले का इंतजार करेगा।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.9 . जिला न्यायालय ने अपने दिनांक 27.01.2017 के आदेश के माध्यम से कहा कि याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी, क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने गठित किया गया, और अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 16 के तहत आपत्ति उठाई जानी चाहिए।

न्यायालय, चंडीगढ़ 2017 का सी. आर. सं. 3279 है। 2.11 . पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01.03.2018 के विवादित आदेश के माध्यम से दीवानी आदेश को खारिज कर दिया।

पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर कि अपीलकर्ता-राज्य माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी स्थिति में जहां एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ के नामांकन के संबंध में आपत्ति उठाई जाती है, और

एक विकल्प मध्यस्थ की नियुक्ति के तरीके के संबंध में समझौता मौन है, लागू नियम उस संस्थान के होंगे जिसके तहत मध्यस्थता आयोजित की जाती है। इसलिए, वर्तमान तथ्यों में

मामले में आई. सी. ए. नियमों के नियम 25 और 27 लागू होंगे। 2.12 . विवादित निर्णय पारित किए जाने के बाद, अपीलार्थी-राज्य द्वारा दायर धारा 16 के तहत आवेदन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांक 12.05.2018 के एक गैर-भाषी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2.13 . 01.03.2018 और 12.05.2018 दिनांकित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-राज्य ने वर्तमान याचिका दायर की है।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, और दलीलों पर विचार किया है। 3.1 . उच्च न्यायालय धारा 15 के तहत आवेदन पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 15 (2) के प्रावधानों पर ध्यान देने में विफल रहा।

मध्यस्थ को बदला जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए जो अपनाई गई थी। प्रारंभिक चरण में मूल समझौते में।

अधिनियम की धारा 15 (2) निम्नानुसार हैः

जीओवीटी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम। एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

" 15. अधिदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन।

(1) .....

मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू होता है प्रतिस्थापित किया गया।

(जोर दिया गया)

3.2 . धारा 15 (2) के प्रावधानों की आवश्यकता है कि जब अधिदेश

किसी मध्यस्थ का पद से हटना या पक्षकारों द्वारा एक समझौते के अनुसार, या किसी भी कारण से, एक स्थानापन्न मध्यस्थ को लागू नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

मध्यस्थ की नियुक्ति की जा रही है।

ए. सी. सी. लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। 'ग्लोबल सीमेंट्स लिमिटेड' ने माना कि

मूल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों द्वारा सहमत प्रक्रिया एक विकल्प मध्यस्थ की नियुक्ति पर समान रूप से लागू होती है, भले ही समझौते में विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न हो।

3.3 . वर्तमान मामले में, खंड 39.2। 2 . समझौते का स्पष्ट रूप से

बशर्ते कि प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ को नामित करेगा, और तीसरे मध्यस्थ को आईसीए के नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

3.4 . अपीलार्थी-राज्य ने 16.11.2015 दिनांकित पत्र का वीडियो बनाया था

आई. सी. ए. द्वारा पहले नामांकन पर आपत्तियां उठाए जाने के बाद, एक अन्य नामित मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए 30 दिनों के समय का अनुरोध किया गया। आईसीए

30 दिनों की अवधि देने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय अपीलार्थी-राज्य की ओर से मध्यस्थ नियुक्त किया। आई. सी. ए. भर सकता था

रिक्ति केवल तभी है जब अपीलकर्ता-राज्य का भरने का कोई इरादा नहीं था रिक्त स्थान। आई. सी. ए. याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति पर अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता था।

3.5 . की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति

अपीलकर्ता-आई. सी. ए. द्वारा राज्य अन्यायपूर्ण था और आई. सी. ए. के नियमों के विपरीत था।

3.6 . आई. सी. ए. द्वारा इस संबंध में उठाई गई आपत्ति

श्री एम. के. अग्रवाल की राज्य के मनोनीत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से अनुचित और 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी।

1 1 (2012) 7 एस. सी. सी. 71 [2019] 1 एस. सी. आर.

3.7 . प्रत्यर्थी सं. 2-आई. सी. ए. द्वारा अपीलार्थी-राज्य द्वारा नामित मध्यस्थ पर यह आपत्ति उठाई गई थी कि नामित मध्यस्थ अपीलार्थी-राज्य का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी था और इस प्रकार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर न्यायोचित संदेह हो सकते हैं। 3.8 . अपीलार्थी-राज्य ने उक्त आपत्ति का इस आधार पर खंडन किया कि नामित मध्यस्थ एक मुख्य अभियंता था जो 10 साल से अधिक समय पहले राज्य की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ था। इसलिए प्रत्यर्थियों की आशंका अनुचित थी क्योंकि पूर्वाग्रह के लिए लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो एक निष्पक्ष दिमाग और सूचित व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं कि मध्यस्थ वास्तव में पक्षपाती था।

लोकबैल लिमिटेड बनाम। बेफील्ड प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स

मान लिया कि:

" घटना के बीच का समय जितना अधिक पूर्वाग्रह के खतरे और उस मामले के रूप में निर्भर करता है जिसमें आपत्ति उठाई जाती है, आपत्ति उतनी ही कमजोर (अन्य चीजें समान होने पर) होगी।

पुनः दवाओं और वस्तुओं के संबंधित वर्गों (संख्या 2) 3 में अपील न्यायालय ने पक्षपात के लिए 'वास्तविक खतरे' परीक्षण का प्रस्ताव करते हुए कहा कि:

" सवाल यह है कि क्या निष्पक्ष और जानकार पर्यवेक्षक, तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालेंगे कि एक वास्तविक संभावना थी कि न्यायाधिकरण पक्षपाती था।

3.9 . 1996 का अधिनियम किसी पूर्व कर्मचारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है, बशर्ते कि कोई उचित संदेह न हो। उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में।

यह तथ्य कि मध्यस्थ 10 साल से अधिक समय पहले हरियाणा राज्य में कार्यरत था, पक्षपात के आरोप को स्पष्ट कर देगा। असमर्थनीय।

3.10 . वर्तमान मामला पूर्व-संशोधित 1996 अधिनियम द्वारा शासित है। यहां तक कि 2015 के संशोधन अधिनियम के अनुसार जो जोड़ा गया है 1996 के अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची जिसमें यह निर्धारित करने के लिए आधार हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो न्यायसंगत संदेह को जन्म देती हैं -

2 2000 (1) सभी ई. आर. 65

3 2002 (1) सभी ईआर 465 जीओवीटी।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम। एम/एस। जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के लिए। पाँचवीं अनुसूची की पहली प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" पक्ष या वकील के साथ मध्यस्थ का संबंध

1. मध्यस्थ एक कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार या है

किसी के साथ कोई अन्य पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध

पार्टी।

(जोर दिया गया)

पाँचवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1 हैः

समान। प्रविष्टि इंगित करती है कि एक व्यक्ति, जो किसी पार्टी से संबंधित है एक कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। "एक है" शब्द इंगित करता है कि इस तरह से नामित व्यक्ति को केवल तभी अयोग्य ठहराया जाता है जब वह किसी एक पक्ष का वर्तमान/वर्तमान कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार हो।

एक मध्यस्थ जिसका "कोई अन्य" अतीत या वर्तमान "व्यवसाय है

पार्टी के साथ "संबंध" भी अयोग्य है। प्रविष्टि 1 में प्रयुक्त शब्द "अन्य", एक कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार के अलावा किसी अन्य संबंध को इंगित करता है। "अन्य" शब्द का उपयोग पिछले/पूर्व कर्मचारियों को शामिल करने के लिए प्रवेश के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

3.11 . आई. सी. ए. ने केवल एक गंजा दावा किया कि नामित

मध्यस्थ-श्री एम. के. अग्रवाल स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे।

पक्षपात की उचित आशंका की आपत्ति पूरी तरह से उठाई गई थी

अनुचित और अप्रमाणित, विशेष रूप से नामित मध्यस्थ के बाद से

10 साल से अधिक समय पहले राज्य के पूर्व कर्मचारी थे। यह उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा। केवल पक्षपात के आरोप मध्यस्थ को हटाने का आधार नहीं हैं।

यह बताना भी प्रासंगिक है कि नियुक्ति की गई थी।

2015 के संशोधन अधिनियम से पहले जब पाँचवीं अनुसूची शामिल नहीं की गई थी। इसलिए आई. सी. ए. द्वारा उठाई गई आपत्ति उस आधार पर भी असमर्थनीय थी।

3.12 . मामले के इस दृष्टिकोण में, विवादित निर्णय दिनांकित

01.03.2018 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी. आर. सं. 3279.2017 में पारित किया गया है।

4. दलीलों के समापन के दौरान, दोनों पक्षों के वकील

एकल मध्यस्थ [2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा संचालित मध्यस्थता के लिए पारस्परिक रूप से सहमत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौते में मध्यस्थता खंड का गठन जो प्रदान करता है

री-सदस्य मध्यस्थता पैनल।

दोनों पक्षों के वकील दिनांकित 31.01.2009 रियायत समझौते से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में एस. एस. निज्जर (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति पर पारस्परिक रूप से सहमत हुए।

तदनुसार, तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश

आई. सी. ए. नियमों के तहत 05.12.2015 को समाप्त कर दिया गया है। बिट्रेटर पूर्व में गठित ट्रिब्यूनल की निरंतरता में आगे बढ़ेगा। पहले से ही अभिलिखित सामग्री को ऐसा माना जाएगा कि

एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्राप्त। अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।

अपील का निपटारा

किया गया।

एन